अनुमण्डल कार्यालय, रजौली।

आपूर्ति शाखा

<u>विज्ञापन सं0–01/2017</u>

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 एवं सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, बिहार के पत्रांक–1222/खाद्य, दिनांक 08.03.2017 एवं पत्रांक–1571/खाद्य, दिनांक 28.03.2017 के आलोक में जन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत रजौली अनुमण्डल अन्तर्गत प्रखण्ड के लिये कुल 75 (पचहत्तर) मात्र रिक्त उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु सुयोग्य एवं सक्षम उम्मीदवारों से कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :–

क्र0	अनुमण्डल का नाम	अनु0 जाति	महिला अनु0	अनु0 जन जाति	महिला अनु0 जन	अ0पि0 वर्ग	महिला अ0पि0	पिछड़ा वर्ग	महिला पिछड़ा	पि0 वर्ग की	अनारक्षित	अनारक्षित महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रजौली	8	5	1	0	9	5	7	3	2	21	14	75

सरकार के अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के पत्रांक–1222, दिनांक–08.03.2017 द्वारा आरक्षण का मानक अनुमण्डल स्तर पर लागू है। साथ ही 35 प्रतिशत महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण देय है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानानुसार दिव्यांगो को आरक्षण दिया जायेगा।

उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदक के द्वारा आवेदन "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के विहित प्रपत्र में ("व्यक्तियों के लिए अनुसूची–1 में, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए अनुसूची–2 में, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, के कार्यालय में दिनांक 20.01.2018 को संध्या 05:00 तक बंद लिफाफा में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। पंचायतवार रिक्तियों की विस्तृत विवरणी एवं आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र की अनुसूची अनुमण्डल के नोटिस बोर्ड एवं नवादा जिला के वेबसाईट www.nawada.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

आवेदक की योग्यता :–

1. भारत का नागरिक हो।
2. आवेदन की तिथि को आवेदक का आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रीक पास और व्यस्क होगा। कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषक क्षेत्र में रखना होगा।
4. स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत/सहकारी समितियाँ/महिलाएँ की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिक के सहकारी समितियाँ/विकलांग/शिक्षित बेरोजगार।

अयोग्यता :–

1. एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। माता, पिता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी) पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु एवं शौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
2. मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, विधायक, विधान परिषद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य अपने कार्यकाल तक।
3. आटा–चक्की एवं उनके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
4. अवयस्क/पागल/विकृतचित/दिवालिया।
5. आवेदक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं पाया गया है।
6. किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो।

प्राथमिकता–दुकान आवंटन में निम्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के आलोक में :–

1. स्वयं सहायता समूह
2. महिलाओं की सहयोग समितियाँ
3. पूर्व सैनिक की सहयोग समितियाँ
4. शिक्षित बेरोजगार
5. संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

पात्रता एवं शर्तें :–

1. आवेदन पत्र स्व0 हस्त लिखित होनी चाहिये। अपूर्ण/अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें। आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजें, अन्य माध्यम/स्रोत से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य है। विज्ञापन के निर्धारित अवधि (दिनांक 20.01.2018 को संध्या 05:00 तक) की समाप्ति के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. लिफाफा के उपर "विज्ञापन संख्या" एवं "लक्षित जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र" लिखा होना अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र के साथ रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खीचा हुआ) स्वअभिप्रमाणित चार प्रति संलग्न करें तथा एक प्रति विहित आवेदन पत्र पर चिपकायें।
4. व्यापार स्थल के मालिकाना हक/किरायेनामा संबंधी कागजात, खाता, खेसरा एवं रकवा से संबंधित अद्यतन लगान रसीद आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें।
5. आचरण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र एवं सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
6. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
7. जन वितरण दुकान आवंटन प्रक्रिया के दौरान उच्चाधिकारियों से प्राप्त निदेश अथवा माननीय न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में दुकान का निर्गत अनुज्ञप्ति फलाफल प्रभावित होगा एवं बिना कारण बताये दुकान की निर्गत अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।
8. एक आवेदक द्वारा एक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन मान्य होगा। एक से अधिक आवेदन होने पर रद्द कर दिया जायेगा।
9. वैसे पैक्सों/सहकारी संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को हीं अनुज्ञप्ति दी जायेगी जिनके पास कार्यरत पूंजी के रूप में कम–से–कम 100000/– (एक लाख) रूपया मौजूद हो। स्वयं सहायता समूह न्यूनतम एक वर्ष पुराना एवं बैंक खाता भी एक वर्ष पुराना हो।
10. जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति के संबंध में नियम व शर्तें, प्राथमिकताएँ, अनार्हताएँ की जानकारी इत्यादि अनुमण्डल कार्यालय रजौली से प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में चयन का अधिकार मात्र जिला स्तरीय चयन समिति का होगा तथा समिति का निर्णय अंतिम होगा।

ह0/–
अनुमण्डल पदाधिकारी,
रजौली।

ज्ञापांक 2688 / **दिनांक** 21-12-17

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, *N.I.C.* नवादा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञापन एवं अन्य विवरणी को नवादा जिले के बेवसाईट *www.nawada.bih.nic.in* पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
रजौली।

प्रपत्र 2

नवीन रिक्ति

क्रमांक	प्रखंड का नाम (ग्राम पंचायत मुखिया के आरक्षण के क्रम में)	पंचायत का नाम (ग्राम पंचायत मुखिया के आरक्षण के क्रम में)	कुल रिक्ति	अनु0 जाति	अनु0 जाति महिला	अनु0 ज0 जाति	अनु0 ज0 जाति महिला	अ0 पि0 वर्ग	अ0 पि0 वर्ग महिला	पि0 वर्ग	पि0 वर्ग महिला	पि0 वर्ग की महिला SC/ST/BC/EBC की महिला	अनारक्षित	अनारक्षित महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	नरहट	पालीखुर्द	2					1					1	
2		जमुआरा	1											1
3		शेखपुरा	1	1										
4		नरहट	1							1				
5		कोनीवर	1										1	
6		खनवॉ	2						1					1
7		पुनौल	0											
8		वभनौर	1		1									
9		पुंथर	1										1	
10		सैदापुर गोवासा	0											
		कुल :–	10	1	1	0	0	1	1	1	0	0	3	2
1	मेसकौर	मिर्जापुर	0											
2		विसिआईत	0											
3		बडोसर	0											
4		तेतरिया	0											
5		सहबाजपुर सराय	0											
6		बारत	0											
7		रसलपुरा	0											
8		अकरी पाण्डे विगहा	0											
9		विजु विगहा	0											

10		मेसकौर	0											
		कुल :–	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1		सांढ मंझगांवा	1								1			
2		अब्दुल	0											
3		चौकिया	0											
4		खटांगी	0											
5		घघट	1					1						
6		बांधी	1											1
7	**सिरदला**	सिरदला	0											
8		अकौना	0											
9		उपरडीह	0											
10		लौंद	1	1										
11		बडगांव	2									1	1	
12		राजन	1										1	
13		खनपुरा	2					1						1
14		चौबे	0											
15		धिरौंध	1							1				
		कुल :–	**10**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**
1		लेगुरा	0											
2		अमावा पश्चिमी	0											
3		अमावाँ पूर्वी	0											
4		अंधरवारी	1										1	
5		मुरहेना	1		1									
6		बहादुरपुर	0											
7		फरका बुजुर्ग	2						1					1
8	**रजौली**	जोगियामारण	1	1										
9		टकुआटांड	0											
10		रजौली पश्चिमी	0											
11		रजौली पूर्वी	0											
12		सिरोडाबर	0											
13		हरदिया	0											

14		चितरकोली	0											
15		धमनी	1										1	
16		सवैयाटांड	0											
		कुल :—	**6**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**
1		बडैल	2							1			1	
2		सकरपुरा	1					1						
3		तेयार	2	1										1
4		गोविंद विगहा	2					1					1	
5		पैजुना	2								1		1	
6		फतेहपुर	2		1									1
7		माखर	2						1				1	
8		पचगांवा	0											
9		बरेव	1			1								
10	अकबरपुर	फरहा	1											1
11		भनैल लोदीपुर	0											
12		मलिकपुर नेमदा	0											
13		लेदहा	3	1						1			1	
14		परतो करहरी	2					1						1
15		कुलना	2									1	1	
16		पचरूखी	1										1	
17		पांती	1					1						
18		बलिया बुजूर्ग	1											1
19		बकसंडा	2	1									1	
20		बुधुआ	1							1				
		कुल :—	**28**	**3**	**1**	**1**	**0**	**4**	**1**	**3**	**1**	**1**	**8**	**5**
1		नजरडीह	2						1				1	
2		ओहारी	0											
3		कुंज	1											1
4		मरूई	2		1								1	
5		डुमरी	1								1			
6		सिउर	0											
7	रोह	भट्टा	0											
8		मड़रा	1										1	

9		रोह	1					1						
10		सम्हरीगढ़	0											
11		मोरमा	1											1
12		कोशीरूखी	2	1									1	
13		छनौन	1					1						
14		भीखमपुर	1							1				
		कुल :–	**13**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	**4**	**2**
1	गोविन्दपुर	बकसोती	0											
2		भवनपुर	1											1
3		बुधवारा	1	1										
4		बनिया विगहा	1						1					
5		सुघड़ी	1										1	
6		माधोपुर	2		1									1
7		सरकंडा	1							1				
8		गोविन्दपुर	0											
9		विशुनपुर	1										1	
		कुल :–	**8**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**2**
		कुल योग :–	**75**	**8**	**5**	**1**	**0**	**9**	**5**	**7**	**3**	**2**	**21**	**14**

अनुमण्डल पदाधिकारी,
रजौली।

अनुसूची – 1

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. **आवेदक की विशिष्टियाँ –**
   (क) नाम
   (ख) पिता/पति का नाम
   (ग) शैक्षणिक योग्यता
   (घ) उम्र
   (ङ) स्थायी तथा वर्त्तमान पता
   (फोन नं./ मोबाईल नं./ ई–मेल पता के साथ)
   (च) कम्प्यूटर ज्ञान
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
   व्यवसाय स्थल का विवरण
   (क) मकान / दुकान संख्या :
   (ख) होल्डिंग नं0 :
   (ग) क्षेत्रफल :
   (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   (ङ) चौहद्दी :
   (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   (छ) ग्राम / शहर :
   (ज) थाना :
   (झ) जिला
3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें
4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है ?
12. क्या आवेदक किसी आटा–चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?
13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं .... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

" बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची – 2

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र

(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम ....

एवं कार्यालय का पता

1. **महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ**
   - (क) नाम एवं प्रकार :
   - (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :
     (स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
   - (ग) कार्यालय का पता :
   - (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
   - (ङ) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :
     (निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
   - (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें:
2. **उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-**
3. **महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएँ :-**
   - (क) नाम :
   - (ख) पिता/पति का नाम :
   - (ग) स्थायी पता :
   - (घ) पत्राचार का पता :
   - (ङ) फोन नं0/मोबाईल नं0/ :
     ई-मेल पता :
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. **व्यवसाय स्थल का विवरण :-**
   - (क) मकान / दुकान संख्या :
   - (ख) होल्डिंग नं0 :
   - (ग) क्षेत्रफल :
   - (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   - (ङ) चौहद्दी :
   - (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   - (छ) ग्राम / शहर :
   - (ज) थाना :
   - (झ) जिला :
   - (ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता:
6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. यदि महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें
8. महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :–

(आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मैं .... एतद्द्वारा .... की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक......................... को पारित प्रस्ताव संख्या..................द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि ....की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है ।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम

आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम